




31/08/2020 प्रार्थनापत्र सीमे से बाद जॉच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता की तलवी जरिफे सम्मन मय नकल प्रार्थनापत्र भेज की जावें। पत्रावली वास्ते तलवी / जवाब दिनांक 7/9/2020 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगत

7/9/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता ~~का~~ वादी उपस्थित। पेरौकाट सरकार उपस्थित। पेरौकाट सरकार ने जवाब पेश करने हेतु समन-चाहा है। अवसर क्रिमा जॉडट क्रिमांक 23/9/2020 को वास्ते जवाब पेश हो।


23/9/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभि वादी पतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी ~~अन्य काप मेव्यल~~ पधारे है। पत्रावली वास्ते जवाब आयन्दा दिनांक 8/10/21 को पेश हो।



8/7/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभि वादी पतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्य काप मेव्यल पधारे है। पत्रावली वास्ते जवाब आयन्दा दिनांक 29/7/21 को पेश हो।


29/7/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभि वादी पतिवादी उपस्थिति पीठासीन अधिकारी R.O. 000 पधारे है। पत्रावली वास्ते जवाब आयन्दा दिनांक 26/8/21 को पेश हो।

13/12/21

पत्रावली प्रशासन गावें के संग Not press कामिमान कैम्प मुडुनठुरिमा में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में Not press कर पा० पत्र में कागो कोई कामवाही नहीं चाही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136(1)(a) इसी स्तर पर खारीज क्रिमा जाता है। पत्रावली फैदल शुमार होकर नमूद ले समझे उपखण्ड अधिकारी


माण्डलगत जि-भीलवासा